



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवटो का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुनीता - बडाया, पत्नी श्री अशोक बडाया	श्रीमती सोहनी देवी, पत्नी श्री विधाधर डूडी	71	500.00	धन्नादास की बगीची गृ.नि.स.स.	लक्ष्मी नगर द्वितीय	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही होने व अनुमोदित मानचित्र मे भूखण्ड सृजन के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी-2673

दिनांक: 28.8.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी- 2671

दिनांक..... 28-8-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- निजी खातेदारी की योजना वैष्णो देवी नगर-बी के नियमन की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी खातेदारी की योजना वैष्णो देवी नगर-बी की सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

सपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-06
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574555) सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

वैष्णो देवी नगर-बी, विकास समिति

5-बी, वैष्णो देवी नगर-बी, झोटवाड़ा, जयपुर-302012


वैष्णो देवी नगर- बी, खसरा नंबर 772, ग्राम झोटवाड़ा में सृजित भूखंडों का विवरण

क्र.	भू संख्या	नाम भूखंड स्वामी	भूखंड का क्षेत्रफल	मो. नंबर	हस्ताक्षर
1	1	गीता देवी घीया पत्नी श्री सत्यनारायण घीया	125 वर्ग गज	9799392574	Mamta
2	1 ए	मीना देवी खंडेलवाल पत्नी श्री रामगोपाल	125 वर्ग गज	9864726600	
3	1 बी	जर्मिला पारीक पत्नी श्री शरद पारीक	125 वर्ग गज	9694089475	उर्मिलापारीक
4	1 सी	रविशंकर, घनश्याम खंडेलवाल पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद	125 वर्ग गज	9314511776	Romy
5	4	मुन्नालाल शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा	166 वर्ग गज	9982319135	Sunanda
6	4 बी	सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री रघुवर दयाल शर्मा	166.85 वर्ग गज	7877778396	
7	5	सुरेश चंद्र शर्मा पुत्र श्री रघुवर दयाल शर्मा	215.53 वर्ग गज	7877778396	
8	6	तुलसीराम बघेरवाल पुत्र श्री भूरामल	212 वर्ग गज	9314235958	तुलसीराम
9	6 ए	मालती देवी सक्सेना पत्नी श्री भगवत स्वरूप सक्सेना	141.30 वर्ग गज	8209535277	Je Sune


उक्त भूखंडों का नियमन 'वैष्णो देवी नगर-बी' के नाम से करते हुए नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्रवाई संपन्न करावे।


अध्यक्ष


(सुरेश चंद्र शर्मा)


सचिव

(तुलसीराम बघेरवाल)


कोषाध्यक्ष

(जुगल सक्सेना)


वैष्णो देवी नगर-बी
जयपुर, राजस्थान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-8602


दिनांक : 28-8-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राज्स स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- ४५४६

दिनांक : 25-8-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राज्स स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102843

दिनांक : 24.08.2024

लोकसूचना

श्रीमती ललिता चांदना पत्नी श्री अशोक चांदना, निवासी- प्लॉट नम्बर-9, कल्याण फार्म, सिंवार, सिंवार, जयपुर ।

इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय (एकल पट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	श्रीमती ललिता चांदना पत्नी श्री अशोक चांदना	1173 / 756	3372.00	0.3372
			1174 / 756	2720.00	0.2720
			1175 / 756	653.00	0.0653
			कुल		0.6745

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24.08.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-8571

दिनांक 25/8/23

—:आम सूचना:—

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमति सुशीला बागडा पत्नि स्व. श्री राम लाल बागडा	श्रीमति सध्या शर्मा पत्नि स्व. श्री नारायण सहाय शर्मा	ए-156	264.00	जविप्रा	हाथोज	लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व आई.डी.प्रुफ (आधार कार्ड) में नाम भिन्न के संबंध में।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर





सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	ई-42	200.00 वर्गमीटर	माहुल कुमार मीना	जविप्रा	कल्पना नगर आवासीय योजना	मृत्यु प्रमाण, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र व सजरा प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि:  22/5/2023

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
जविप्रा जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1859

दिनांक: 28.8.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	146333	श्रीमती वीनू सोनी पत्नी श्री संजय नवल, श्रीमती रजनी मेहरा पत्नी श्री अंकुर मेहरा एवं श्रीमती विनीता माहेश्वरी पत्नी श्री शरद तापडिया	श्रीमती सूरज सोनी पत्नी श्री अशोक कुनार	ई-50	173.33	हीरा कॉआपरेटिव	रूप विहार	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र
2.	148538	डॉ. संजय सिंघल पुत्र स्व. श्री सी. एल सिंघल	श्रीमती विमला सिंगला पत्नी स्व. श्री चमन लाल	77	444.66	अपोलो नगर	विश्वेसरिया नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा


उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - [+91-141-2583234] ईमेलवेबसाइट - [+91-141-2569696] एक्सटेंशन : [8280] फैक्स - [+91-141-2574555]



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1718

दिनांक 29/8/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारि का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	मैसर्स एम.एस. आर. बिल्डविजन प्रा0लि0 निदेशक राघवेन्द्र पुत्र एवं श्री मोहन सिंह	मैसर्स एम.एस.आर. बिल्डविजन प्रा0लि0 जरिये श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	ए-26, ए-27, ए-29, ए-30 एवं ए-31	आवासीय	जविप्रा द्वारा सृजित योजना वैशाली नगर	1634.15 वर्गगज	मिश्रित (30 मीटर गहराई तक)	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त एवं प्रमुख जोन अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1717

दिनांक 28/8/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामगोपाल वर्मा पुत्र श्री जी.एल. वर्मा एवं श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री रामगोपाल वर्मा	श्रीमती प्रीती देवीपत्नी श्री रामगोपाल वर्मा	539	217 वर्ग गज	गुलाबी नगर गृ.नि.स.	मोती नगर	पट्टा विलेख	सहकारी समिति आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान एवं अपंजीकृत इकरारनामा, गुमशुदगी रिपोर्ट

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा.07/2023/डी-

1709

दिनांक:- 28/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. का नाम	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	श्री राज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	173ए	295.83	नेहरू गृ.नि.स.स.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	पट्टे हेतु	मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं।
2	श्री मनू अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल	श्री मनू अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल	63	341.66	नेहरू गृ.नि.स.स.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	पट्टे हेतु	मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं।

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जयपुर प्राधिकरण अधिकारी
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि :- प्रभारी अधिकारी (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102852

दिनांक : 28.08.2023

लोकसूचना

श्री शर्मा स्टीलटेक इण्डिया प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी-प्लॉट नं. डी-111, अम्बाबाडी, जयपुर, राज।


इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक (एकल पट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1	बावडी, कालवाड (जयपुर)	श्री शर्मा स्टीलटेक इण्डिया प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	264/1	7588.00	0.7588
			300/4	2655.00	0.2556
			263/4	5438.00	0.5438
			264/2	8600.00	0.8600
			300/1	5185.00	0.5185
			300/2	2529.00	0.2529
			300/3	2656.00	0.2656
			300/5	2529.00	0.2529
कुल					3.7181

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर सम्बंधित दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28.08.2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1721

दिनांक 24/11/23

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मथ दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	रिद्धीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स जरिये साझेदार कुनाल जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार पाण्ड्या	रिद्धीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स जरिये साझेदार कुनाल जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार पाण्ड्या	पुर्नगठित भू.सं. 17, 18	आवासीय	राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गृ. नि.स.स.)	512.57 व. ग.	आवासीय	01/19/67/23

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरणकारी
जोन-7, जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय: सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित हैरिटेज सिटी की रोडो/चौपडो में आ रही भूमि की सार्वजनिक सूचना संलग्न कर प्रकाशन कराये जाने हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त (जोन-10) अधिकार
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1707
दिनांक: 29/8



क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1708

दिनांक 29/8/23

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित न्यू हैरिटेज सिटी के गेट नम्बर 1 पर स्थित चौपड के पश्चिमी दिशा में स्थित चौपड में ग्राम खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 199 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 203 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि में से 15/28 हिस्सा भूमि आ रही है जिसका निर्माण प्राथमिकता के साथ किया जाना है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 199 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 203 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि में से 15/28 हिस्सा भूमि के खातेदार/खातेदारों/वारिसान रामजी लाल मीणा पुत्र स्व. श्री बाबूलाल मीणा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-10 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात यदि कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102850

दिनांक: 28/08/2023

लोक सूचना

मैसर्स स्काईऐज रियल एस्टेट प्रा. लि., जयपुर, रजिस्टर्ड पता:- एस-12, अरिहन्त प्लाजा, मालवीय नगर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बालावाला, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स स्काईऐज रियल एस्टेट प्रा. लि., जयपुर, रजिस्टर्ड पता:- एस-12, अरिहन्त प्लाजा, मालवीय नगर, जयपुर।	263	12100	1.21
कुल					1.21

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **28-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1722

दिनांक: 29/2/2023

आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सहमति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।


क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025 जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया।
1	7	श्रीमती लकेश चौधरी पत्नी श्री विकास चौधरी	श्रीमती लकेश चौधरी पत्नी श्री विकास चौधरी	147, 704	आवासीय	विद्युत नगर-ए (नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.)	764.78 वर्ग गज	मिश्रित	मिश्रित

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक-नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक-मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
जयपुर
जोन-7, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1721

दिनांक 29/8/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गू.नि. स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	रिद्धीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स जरिये साझेदार कुनाल जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार पाण्ड्या	रिद्धीराज बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स जरिये साझेदार कुनाल जैन पुत्र श्री प्रदीप कुमार पाण्ड्या	पुर्नगठित भू.सं. 17. 18	आवासीय	राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गू. नि.स.स.)	512.57 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर
जोन-7 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102793) 51-2261

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री KAILASH पुत्र श्री MAHADEV जाति MEENA निवासी VILLAGE SAWAI GETOR, TEHSIL SANGANER, DISTRICT JAIPUR

श्री RAJESH पुत्र श्री MAHADEV जाति MEENA निवासी VILLAGE SAWAI GETOR, TEHSIL SANGANER, DISTRICT JAIPUR

श्री ASHOK KUMAR पुत्र श्री MAHADEV जाति MEENA निवासी VILLAGE SAWAI GETOR, TEHSIL SANGANER, DISTRICT JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सांख, बस्सी (जयपुर)	KAILASH, RAJESH AND ASHOK	150/6	19220	1.922
				कुल	1.922

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-08-2023 को जारी की गयी।

उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्र-35/13/5-2263

दि. 29/8/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	ए-5/8	910.00 वर्गमीटर	मैसर्स दिल्ली पंजाब गोल्डन कैरियर्स जरिये श्री दिगविजय सिंह	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	मृत्यु प्रमाण, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

जविप्रा, जयपुर

जविप्रा, जयपुर

प्रारूप-10

{ नियम 6 (7) देखिए }

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14, जविप्रा जयपुर।

संख्या : JDA/DC/ZONE-14/2023/D- 2/74

दिनांक : 29/08/2023

लोक सूचना

श्री हरी सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, श्री छाजू मीणा व नाथू लाल मीणा पुत्रान श्री नारायण मीणा एवं मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुभाष चन्द सैनी पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस टॉवर, सेक्टर-7, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की 90ए आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102078 दिनांक 13.06.2023 से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ की गई 90ए को नवीन भूमि को सम्मिलित करते हुए सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट. में)	खातेदार का नाम
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	वाटिका	7015/6585	0.1980 में से 0.0180	हरि सिंह पुत्र भंवर सिंह
		7016/6585	0.7583	
		429	0.4900	छाजू मीणा व नाथू लाल मीणा पुत्रान नारायण मीणा
		430	0.4600	
		650	0.5100	90ए आदेश दिनांक 13.06.2023 के क्रम में जविप्रा के नाम दर्ज।
		651	0.4100	
		652	0.2600	
		653	0.1800	
		654	0.0200	
		655	0.2800	
		656	0.1800	
		657	0.4500 में से 0.3000	
		661	0.3500 में से 0.1209	
		678	0.3500	
		679	0.1200	
		680	0.2500	
		681	0.1800	
		544	1.2400 में से 0.0828	जयपुर विकास प्राधिकरण (केवल रास्ते के उपयोग हेतु)
		कुल किता 18	कुल रकबा 4.9700 हैक्ट.	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के

उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन एवं सामान्य आवासीय योजना में परिवर्तन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।


उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/8/2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जिन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।


प्राधिकृत अधिकारी जिन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सं. LU2012/JDA/2023-24/102851

दिनांक 25.08.23

सूचना

1. श्री बाबू लाल चौधरी पुत्र श्री कल्याण सहाय चौधरी, जाति जाट निवासी चौधरी कल्याण मार्ग, बी-102 बैंक आफिसर्स कालोनी, रामनगरिया, जयपुर,
2. श्री छोटूराम चौधरी पुत्र श्री कल्याण सहाय चौधरी जाति जाट, निवासी चौधरी कल्याण मार्ग, बी-70 बैंक आफिसर्स कालोनी, रामनगरिया, जयपुर,
3. श्री केसर लाल चौधरी उर्फ केसरा लाल चौधरी पुत्र श्री कल्याण सहाय चौधरी, जाति जाट निवासी चौधरी कल्याण मार्ग, जाटों की दाणी, जयपुर
4. श्री राम नारायण पुत्र श्री कल्याण सहाय चौधरी, जाति जाट निवासी रामनगरिया, जगतपुरा जयपुर
5. श्री लल्लूराम चौधरी पुत्र श्री कल्याण सहाय चौधरी, जाति जाट निवासी चौधरी कल्याण मार्ग, बी-102 बैंक आफिसर्स कालोनी, रामनगरिया, जयपुर के द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक ग्रुप हाउसिंग (आवासीय प्रयोजन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (हेक्टेयर)
जिला जयपुर तहसील सांगानेर	रामनगरिया	338	रकबा 0.8400 हे० म० से 0.7612 हे० भूमि
		कुल कित्ता 1	कुल रकबा 0.7612

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90- क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-गीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेंगे। उपर्युक्त नियत समय के भीतर- गीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 25.08.23 को जारी की जाती है।

दिनांक

स्थान जयपुर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोग-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त (जोग-9) कार्यालय, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण
दूरभाष नं. 01462200000

जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर-302004
दूरभाष नं. 01462200000



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी 2184

दिनांक 29/8/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू. सं.	भू.क्ष. (व0ग0)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री सुखपाल गुर्जर	स्वयं	231	155.55	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	जोन में उपलब्ध सदस्यता सूची में अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
2	श्री कैलाश चंद जौशी पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री महेश चन्द सैनी	167	173.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र में योजना के नाम में भिन्नता होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जौन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102861

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री रघुनन्दन एन्टरप्राइजेज जरिये पार्टनर मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पता :-
बी-147, 10-बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	श्री रघुनन्दन एन्टरप्राइजेज पता :- बी-147, 10-बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।	189/95	2264	0.2264
			203/65	450	0.0450
			211/65	377	0.0377
			208/65	3550	0.3550
			193/65	4450	0.4450
			230/69	8250	0.8250
				कुल	1.9341

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 29-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जौन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102860

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री महेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल निवासी-बी-147, 10-बी रस्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	श्री महेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल निवासी-बी-147, 10-बी रस्कीम, गोपालपुरा बाईपास जयपुर।	195 / 65	329	0.0329
			199 / 63	1250	0.1250
			232 / 214	300	0.03
				कुल	0.1879

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **29-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

20-1862 73-29-8-23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102858

दिनांक

लोक सूचना


श्री MAHENDRA KUMAR AGARWAL पुत्र श्री INDER LAL AGARWAL जाति MAHAJAN निवासी C-16 BHAGAT SINGH MARG, TILAK NAGAR, JANTA COLONY, JAIPUR-302004 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय / फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सुशीलपुरा, जयपुर (जयपुर)	MAHENDRA KUMAR AGARWAL	326 / 325	2571	0.2571
				कुल	0.2571

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH)आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-8-23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी, जोन-05
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/102787 3)-2270

दिनांक:- 29/8/23


लोक सूचना

तिलकराज पुत्र कानाराम हिस्सा-पूर्ण, जाति-गुर्जर, सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में, नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (हॉस्पिटल/चिकित्सा सुविधार्थ) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-


क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-बढारना, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर	तिलकराज पुत्र कानाराम हिस्सा-पूर्ण, जाति-गुर्जर, सा. देह खातेदार।	1378/846 1381/850 किता-02	0.0600 0.1050 0.1650


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/8/23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1725

दिनांक 29/8/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना


राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारि का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	श्री अजित सिंह चौहान पुत्र निरंजन चौहान	श्री अजित सिंह चौहान पुत्र श्री निरंजन सिंह चौहान	110ए	आवासीय	श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि. स.स. की योजना राठौड़ नगर	370.00 वर्गगज	मिश्रित (30 मीटर गहराई तक)	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त एवं अतिरिक्त अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/102795 2269

दिनांक:- 29/8/23


लोक सूचना

नरसीलाल पुत्र सांवलाराम हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (पेट्रोल पम्प) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-पूठकाबास उर्फ चावा का बास, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर	नरसीलाल पुत्र सांवलाराम हिस्सा-पूर्ण, जाति-मीणा, सा. देह खातेदार	1586/13	0.8175 में से 1575.00 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/8/23 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।



प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त उपायुक्त
जयपुर-14 ज.वि.प्रा. जयपुर
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-

दिनांक:-

29-8-23

2172

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त उपायुक्त 14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2171

दिनांक:-
29-8-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-7/2023/सी

1727

आम सूचना

दिनांक 29/12/23

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (सशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सहमति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दरतावेज संवन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.रा. रा./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025 जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया।
1	7	श्रीमती लकेश चौधरी पत्नी श्री विकास चौधरी	श्रीमती लकेश चौधरी पत्नी श्री विकास चौधरी	147, 704	आवासीय	विद्युत नगर-ए (नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.)	764.78 वर्ग गज	मिश्रित	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक-नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक-मास्टर प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटन का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	रोवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	शिवराज सिंह राठी	नेमीचन्द कुमावत	249 B	138.50	नागरिक गृ.नि.स. स.लि.	अमृत नगर	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	गुलाब कवर	श्रीधराम कुमावत	249 A	138.50	नागरिक गृ.नि.स. स.लि.	अमृत नगर	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	राहुल चौधरी	मंगलराम एवं लालाराम भयार्लो	121, 122, 123, 124, 125, 126 & 127	793.33	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	श्री गोपाल नगर	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	राम प्रसाद चौधरी	सतीश कुमार अरोड़ा	A 30	200.00	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1865
दिनांक 28.8.2023

N.P.-V.N.

रोक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीओएवरा - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

21/8/23
उपायुक्त-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2172

दिनांक:- 29.8.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102859

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री HARI SINGH CHANDRAWAT पुत्र श्री PARBHU SINGH CHANDRAWAT जाति RAJPUT निवासी
PLOT NO, 33 MAHVEER, COLONY, VISTAR, KARTARPURA, JAIPUR

श्री RIYASAT INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND
SAINI पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी 709, OKAY PLUS TOWER, SECTOR 7
MANSAROWAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	358	3300	0.33
2.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	361	3040	0.304
3.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	362	4200	0.42
4.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	363	1900	0.19
5.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	364	4100	0.41
6.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	365	3700	0.37
7.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	366	200	0.02
8.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	367	400	0.04
9.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	368	100	0.01
10.	सीतारामपुरा, सांगानेर	RIYASAT INFRA	369	5000	0.5

	(जयपुर)	DEVELOPERS PRIVATE LIMITED			
11.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	399	5500	0.55
12.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	400	2900	0.29
13.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	359	1800	0.18
14.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	360	2900	0.29
15.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	MAHVEER, COLONY, VISTAR, KARTARPURA, JAIPUR	398	3500	0.35
16.	सीतारामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	401	760	0.076
कुल					4.33

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

लोक सूचना

श्री हरी सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, श्री छाजू मीणा व नाथू लाल मीणा पुत्रान श्री नारायण मीणा एवं मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुभाष चन्द सैनी पंजीकृत कार्यालय- 709, ओके प्लस टॉवर, सेक्टर-7, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की 90ए आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102078 दिनांक 13.06.2023 से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ की गई 90ए को नवीन भूमि को सम्मिलित करते हुए सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-


जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट. में)	खातेदार का नाम
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	वाटिका	7015 / 6585	0.1980 में से 0.0180	हरि सिंह पुत्र भंवर सिंह
		7016 / 6585	0.7583	
		429	0.4900	छाजू मीणा व नाथू लाल मीणा पुत्रान नारायण मीणा
		430	0.4600	
		650	0.5100	
		651	0.4100	
		652	0.2600	
		653	0.1800	
		654	0.0200	
		655	0.2800	
		656	0.1800	
		657	0.4500 में से 0.3000	
		661	0.3500 में से 0.1209	
		678	0.3500	
		679	0.1200	
		680	0.2500	
		681	0.1800	
		544	1.2400 में से 0.0828	जयपुर विकास प्राधिकरण (केवल रास्ते के उपयोग हेतु)
		कुल किता 18	कुल रकबा 4.9700 हैक्ट.	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के

उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन एवं सामान्य आवासीय योजना में परिवर्तन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।


उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/8/2023 को जारी की गयी।


उपायुक्त जॉन-14
प्राधिकृत अधिकारी जॉन-14, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त जॉन-14
प्राधिकृत अधिकारी जॉन-14, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2440

दिनांक 28/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 1423, 1426, 1427 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0116 हैक्ट. के खातेदार श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री भवानी सिंह, आशा उर्फ आशु पुत्री भवानी सिंह ना.बालिग उषा पुत्री भवानी सिंह, सरंक्षक सरपरस्त माता चन्दादेवी, नाबालिग देवराज उर्फ कुशाल सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह सरंक्षक सरपरस्त माता चन्दादेवी कोमल पुत्री भवानी सिंह निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरानुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त-14
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2171
दिनांक:- 29.8.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102769

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी 709, OKAY PLUS TOWER, SECTOR 7 MANSAROWAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	771	100	0.01
2.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	775	300	0.03
3.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	777	300	0.03
4.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1075/774	539	0.0539
5.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND	1077/774	175	0.0175


		SAINI			
6.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1078/1064	1705	0.1705
7.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1084/772	4275	0.4275
8.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1080/648	2401	0.2401
9.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1082/770	7172	0.7172
10.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1068/773	500	0.05
11.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1054/776	200	0.02
12.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI	1055/776	500	0.05
13.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD THROUGH AUTHORIZED	1059/778	400	0.04

		DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI				
					कुल	1.8567

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-08-2023** को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102744

157-3580

दिनांक: 29/08/2023

लोक सूचना

श्री BABU LAL GURJAR पुत्र श्री CHHITAR MAL GURJAR जाति GURJAR निवासी GURJARO KA MOHALLA, GONER JAIPUR RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1829	2570	0.257
2.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1830	2330	0.233
3.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1815/1	3700	0.37
4.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1818	1200	0.12
5.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1819	700	0.07
6.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1820/1	900	0.09
7.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1828/1	600	0.06
8.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1831	1400	0.14
9.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1832	1100	0.11
10.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1833	2100	0.21
11.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	1834	1400	0.14
12.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	3747/1545	200	0.02
13.	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	BABULAL S/O CHHITAR	3748/1831	1000	0.1
				कुल	1.92

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-08-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जेन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर